Conduct of election Rules.1961 (Statutory Rules and Order)

FORM - 21 C

(See. rule 64)
Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan From 84- SAPOTRA (S.T.) Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People act. 1951 read with rule 64 of the conduct of Election Rules, 1961, I declare that:-

Shri Ramesh Chand Meena (Name)

House No. 52 Village – Naya gaon , Post-Ranipura , TEHSIL Mandrayal DISTRICT Karauli (Address)

Sponsored by Indian National Congress

(Name of recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency

Place: GOVERMENT COLLAGE KARAULI

Date: 11/12/2018

(TARAMATI VAISHNAVA)

Returning Officer
ASSEMBLY CONSTIUENCY 084 SAPOTRA

SUB DIVISIONAL OFFICER & SUB DIVISIONAL MAGISTRATE, SAPOTRA

िटर्निंग अधिकारी निर्वाचन क्षेत्र सपोटरा-84 (अ०ज०जा०) (शानुगड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट)

प्रारूप 21-ग

(नियम 64 देखिये)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

84— सपोटरा (अ०ज०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधान सभा के लिये निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूं कि :—

श्री रमेश चन्द मीना

मकान नं0 52 ग्राम- नया गांव ,पोस्ट रानीपुरा, तहसील मण्डरायल जिला करौली

जो इंडियन नेशनल कॉग्रेस (मान्यता प्राप्त / रिजस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये ।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये है ।

स्थानं :राजकीय महाविद्यालय करौली

दिनांक : 11/12/2018

(तार्रामती बैष्णव) -रिटर्निंग-अधिकारी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सपोटरा 84 (अ.ज.जा.) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सपोटरा

िटर्निंग अधिकारी निर्वाचन केंत्र सपोटरा-84 (अ०ज०जा०) (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट) Illea